रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 1974/कार्तिक 15, 1896
No. 276] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 1974/KARTIKA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Govt. Stat. Library

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 1974

G.S.R. 450(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government

DRAFT RULES

1. **Short title and application.**—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Bombay (Payment of Fees and Allowances ti Trustees) Rules, 1974.

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Act apply to the Board of Trustees of the port of Bombay.

2. **Fees payable.**—Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

(i) rupees thirty for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quorum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof:

Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed rupees two hundred;

(ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board, at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

3. **Payment of travelling allowances.**—(1) All outstation Trustees attending any meeting of the Board or any of its committees shall, in addition to such fee as is payable under rule 2, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government but shall not be entitled to receive any daily allowance.

(2) A Trustee who is a servant of the Government and who attends any meeting of the Board or of any of its committees shall be entitled to receive travelling allowances and daily allowances in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

[No. F. PGL-15/74]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 450(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार महा-पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. उक्त प्रारूप की बाबत उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1974 है ।

(2) ये अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड को लागू होंगे ।

2. **संदेय फीस**.— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या ऐसे कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, से भिन्न, बोर्ड का प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा :—

(i) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो और कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अंत तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए तीस रुपए :

परन्तु किसी कैलेण्डर मास के दौरान हुए अधिवेशनों के बाबत किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में 200 रु० से अधिक नहीं होगी ;

(ii) बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन की अनुवर्ती या तैयारी में उसी दिन होने वाले समिति के अधिवेशन से भिन्न, बोर्ड की किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो और जिसमें वह आरम्भ से अंत तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए 15 रु० ।

3. **यात्रा भत्तों का संदाय**.—(1) बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होने वाले बाहर से आने वाले सभी न्यासी, नियम 2 के अधीन यथा संदेय ऐसी फीस के अतिरिक्त, उस मापमान पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के सर्वोच्च वर्ग को लागू होता है, किन्तु वे कोई दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ।

(2) ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक है और जो बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होता है, उसको लागू होने वाले सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसरण में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा ।

[सं० फा० पी० जा० एल०-15/74]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974